उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
संख्या : बी–1–1498/दस–2008–231/2008
लखनऊ : दिनाँक : 15 अप्रैल, 2008

कार्यालय–ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008–2009 की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने के सम्बन्ध में कार्यालय–ज्ञाप संख्या बी–1–1071/दस–2008–231/2008 दिनाँक 20 मार्च, 2008 को निम्नवत् संशोधित समझा जाय –

प्रस्तर संख्या – 2 (3)

विद्यमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
प्रशासनिक विभाग सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता की धनराशि ऐसे मामलों में स्वीकृत कर सकते हैं, जिनमें अनुदान को स्वीकृत करने के लिए विस्तृत नियमावली वित्त विभाग की सहमति से बना ली गयी हो । विगत वर्षों की भाँति चालू योजनाओं के अन्तर्गत मानक मद '20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता, 43–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान एवं 48–पूंजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान' के ऐसे मामले जिनमें बजट में प्रावधान करने से पूर्व वित्त विभाग द्वारा विस्तृत एवं पूर्ण स्क्रूटनी कर ली गयी हो, वित्तीय वर्ष के प्रथम छः माह के आवश्यकता के लिए बजट में प्रावधानित धनराशि की 50 प्रतिशत की सीमा तक प्रशासकीय विभाग स्वीकृति आदेश निर्गत कर सकते हैं । इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा । इससे भिन्न मामलों में तथा प्रथम छः माह की स्वीकृति के आगे की अवधि के लिए स्वीकृतियाँ वित्त विभाग का परामर्श / सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही जारी की जायेंगी ।	चालू योजनाओं के अन्तर्गत मानक मद '43–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान' के ऐसे मामलों, जिनमें बजट में प्रावधान करने से पूर्व वित्त विभाग द्वारा विस्तृत एवं पूर्ण स्क्रूटनी कर ली गयी हो, के लिए वित्तीय वर्ष के प्रथम छः माह की आवश्यकता के लिए बजट में प्रावधानित धनराशि की 50 प्रतिशत की सीमा तक प्रशासकीय विभाग स्वीकृति आदेश निर्गत कर सकते हैं । इसी प्रकार मानक मद '20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता' के अन्तर्गत यदि पेंशन की व्यवस्था की गयी है तो उसके लिए भी बजट में प्रावधानित धनराशि की 50 प्रतिशत सीमा तक प्रशासकीय विभाग स्वीकृति आदेश निर्गत कर सकते हैं । इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा । इससे भिन्न मामलों में तथा प्रथम छः माह की स्वीकृति के आगे की अवधि के लिए स्वीकृतियाँ वित्त विभाग का परामर्श / सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही जारी की जायेंगी ।

प्रस्तर संख्या – 2 (5)

विद्यमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
बजट में सम्मिलित ऐसी नई योजनायें, जिनका व्यय आंशिक अथवा पूर्ण रूप से भारत सरकार / अन्य संस्थाओं द्वारा वहन किया जाता है, उन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार / अन्य संस्थाओं से योजना के कार्यान्वयन तथा सहायता की धनराशि के विषय में औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर ही दी जाय । इस संबंध में भारत सरकार / संबंधित संस्थाओं से योजनाओं के कार्यान्वयन एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाय । ऐसी केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र पुरोनिधानित चालू योजनाओं, जिनके कार्यान्वयन तथा वित्त पोषण के लिए भारत सरकार की वचनबद्धता पूर्व में ही प्राप्त हो गयी हो, विगत वर्षों में केन्द्रांश नियमित रूप से प्राप्त होता रहा हो, वित्तीय वर्ष 2008–2009 में भी केन्द्रांश प्राप्त होने की पूरी–पूरी सम्भावना है तथा पूर्व वर्षों में अवमुक्त धनराशि पी.एल.ए. / डिपाजिट खातों आदि में अप्रयुक्त नहीं पड़ी है, की प्रथम त्रैमास की वित्तीय स्वीकृति केन्द्रांश की प्राप्ति की प्रत्याशा में प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जा सकती है ।	बजट में सम्मिलित ऐसी नई योजनायें, जिनका व्यय आंशिक अथवा पूर्ण रूप से भारत सरकार / अन्य संस्थाओं द्वारा वहन किया जाता है, उन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार / अन्य संस्थाओं से योजना के कार्यान्वयन तथा सहायता की धनराशि के विषय में औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर ही दी जाय । इस संबंध में भारत सरकार / संबंधित संस्थाओं से योजनाओं के कार्यान्वयन एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाय । केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र पुरोनिधानित चालू योजनाओं में, जहाँ भारत सरकार से योजना के कार्यान्वयन तथा वित्त पोषण की वचनबद्धता प्राप्त हो गयी है और गत वर्ष भारत सरकार से सहायता राशि प्राप्त हुयी है तथा भारत सरकार के वर्ष 2008–2009 के बजट में प्रावधान है, उन योजनाओं में केन्द्रांश प्राप्त होने की प्रत्याशा में प्रथम त्रैमास की वित्तीय स्वीकृति भी प्रशासकीय विभाग द्वारा अपने स्तर से दी जा सकती है ।

2– उक्त कार्यालय–ज्ञाप दिनाँक 20 मार्च, 2008 की शेष व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी ।

(वी. के. शर्मा)
प्रमुख सचिव, वित्त ।

शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव ।

संख्या : बी–1–1498(1)/दस–2008–231/2008, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2 महालेखाकार (लेखा–परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
4 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
5 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(बी.एम.जोशी)
सचिव, वित्त ।